

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2190 / 2023


दिनांक : 27.07.2023

सुश्री मीनाक्षी जैन (RJ00394), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बीकानेर को दिनांक 03.07.2023 से 07.07.2023 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 02.07.2023 एवं 08.07.2023 से 09.07.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री जैन की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बीकानेर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 26.07.2023

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/26/2002/ 4796

दिनांक : 27.07.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बीकानेर को उनके पत्रांक 56 दिनांक 10.07.2023 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री मीनाक्षी जैन (RJ00394), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बीकानेर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर।


सहायक रजिस्ट्रार 27.7.2023